हिन्दुस्तान 02
पटना • शुक्रवार • 01 जून 2018

रेरा में अब निबंधन को 300 गुना लेट फीस

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रियल स्टेट रेग्यूलेशन एक्ट (रेरा) में निबंधन कराने के लिए अब बिल्डरों और डेवलपरों को अधिक राशि देनी पड़ेगी। बिल्डरों को कई मौके देने के बाद रेरा ने आगे निबंधन कराने के लिए लेट फीस तीन सौ प्रतिशत बढ़ा दी है। नये निबंधन कराने वालों को अब तीन लाख रुपए या निबंधन राशि का तीन सौ प्रतिशत देना होगा। इसमें जो ज्यादा होगा, वही राशि देनी होगी।

निबंधन के लिए कई बार तारीख बढ़ाने के बाद रेरा अब प्रोमोटरों और बिल्डरों को और मौका देने के मूड में नहीं है। कई बार तारीख बढ़ाने के बाद अप्रैल तक पूर्व निर्धारित रेट पर निबंधन कराने का मौका दिया गया। उसके बाद मई में एक लाख रुपये या सौ प्रतिशत अधिक राशि तय की गई। बावजूद अब तक मात्र 360 बिल्डरों ने ही रेरा में निबंधन कराया है। मई में दर बढ़ने के बाद 75 योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन आया। लिहाजा संस्था ने अब राशि तीन गुना बढ़ा दी।

अनुमान के अनुसार राज्य में अभी लगभग पांच सौ से अधिक प्रोजेक्ट अनिबंधित हैं और उनपर काम चल रहा है। खास बात यह है कि अब तक जो भी आवेदन रेरा के पास आए हैं उनमें अधिकतर पटना के हैं। कुछ जिलों से इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट के आवेदन मिले हैं, लेकिन कई जिलों से एक भी आवेदन नहीं मिला है, लेकिन स्थिति यह है कि राज्य का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां ऐसी योजनाओं पर काम नहीं चल रहा है। उल्लेखनीय है कि पांच सौ वर्गमीटर से अधिक जमीन पर या आठ फ्लैट से अधिक के निर्माण करने वाले हर बिल्डर को रेरा में निबंधन कराना अनिवार्य है।

बिल्डरों पर सख्ती

- निबंधन के लिए कई बार तारीख बढ़ाने के बाद लिया फैसला
- अब तक मात्र 360 बिल्डरों ने ही रेरा में निबंधन कराया है

05 सौ वर्गमीटर से अधिक में निर्माण पर रेरा में कराना होता है निबंधन

75 योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन आया मई में दर बढ़ने के बाद से